BA Part II. Political Science (Subsidiary)

विषय: विश्व के प्रमुख संविधान: इंग्लैंड, अमेरिका, भारत

टॉपिक: कॉमन सभा की भूमिका - उसकी शक्तियों और कार्यो का विवेचन:-

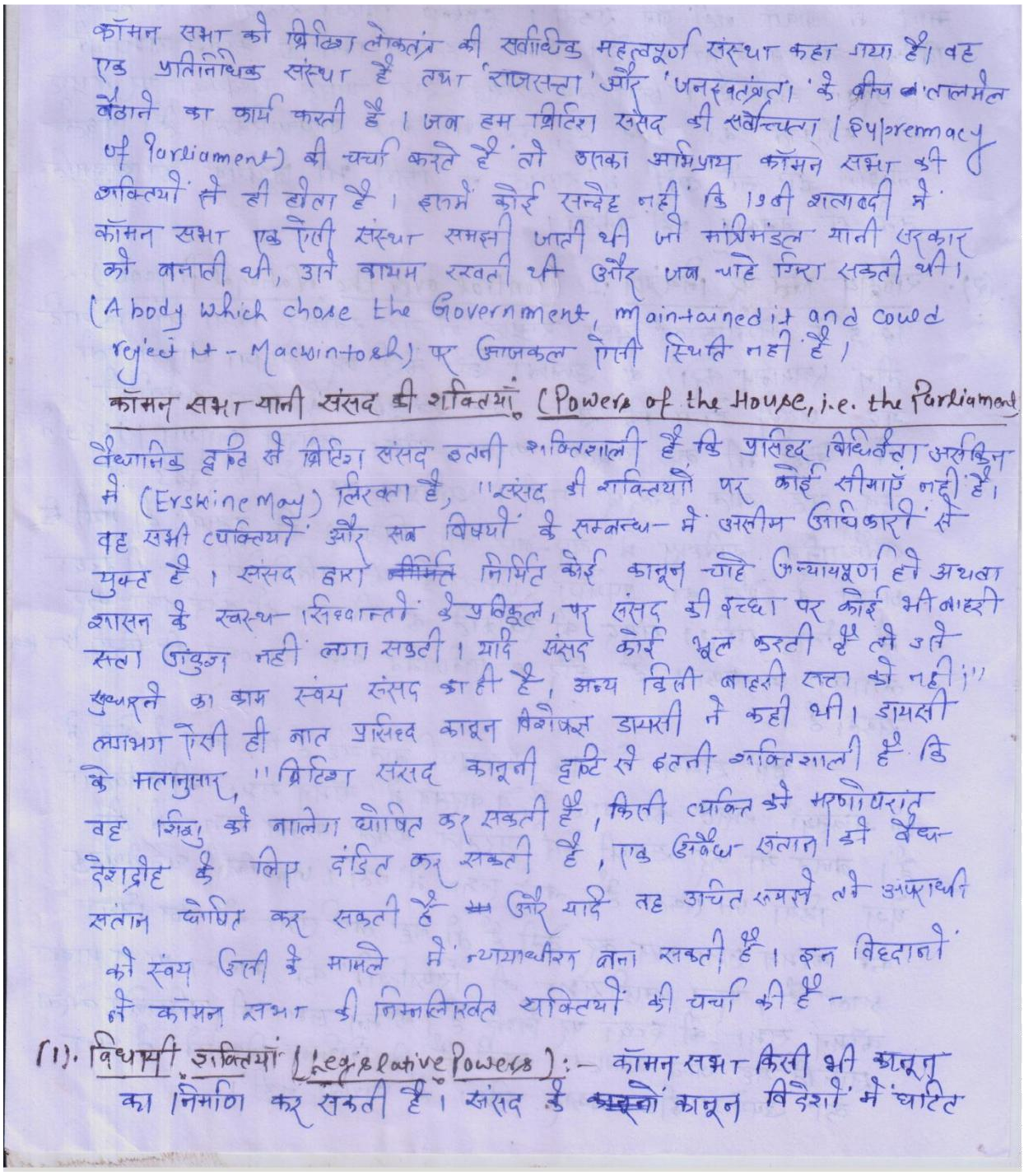

कॉमन सभा को ब्रिटिश लोकतंत्र की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था कहा गया है। वह एक प्रतिनिधिक संस्था है तथा 'राजसत्ता' और 'जनस्वतंत्रता' के बीच तालमेल बैठाने का कार्य करती है। जब हम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता (Supremacy of Parliament) की चर्चा करते हैं तो उसका अभिप्राय कॉमन सभा की शक्तियों से ही होता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि 19वी शताब्दी में कॉमन सभा एक ऐसी संस्था समझी जाती थी जो मंत्रिमंडल यानी सरकार को बनाती थी, उसे कायम रखती थी और जब चाहे गिरा सकती थी। (A body which chose the Government, maintained it and could reject it - Macwintosh) पर आजकल ऐसी स्थिति नहीं है।

कॉमन सभा यानी संसद की शक्तियां (Powers of the House, i.e. the Parliament)

वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद इतनी शक्तिशाली है कि प्रसिद्ध विधिवेत्ता अर्सकिन मे (Erskine May) लिखता है, "संसद की शक्तियों पर कोई सीमाएं नहीं है। वह सभी व्यक्तियों और सब विषयों के सम्बन्ध में असीम अधिकारों से युक्त है। संसद द्वारा ~~निर्मित~~ निर्मित कोई कानून चाहे अन्यायपूर्ण हो अथवा शासन के स्वस्थ सिद्धान्तों के प्रतिकूल, पर संसद की वैधता पर कोई भी बाहरी सत्ता अंकुश नहीं लगा सकती। यदि संसद कोई भूल करती है तो उसे सुधारने का काम स्वयं संसद का ही है, अन्य किसी बाहरी सत्ता को नहीं।" लगभग ऐसी ही बात प्रसिद्ध कानून विशेषज्ञ डायसी ने कही थी। डायसी के मतानुसार, "ब्रिटिश संसद कानूनी दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह किसी को अपराधी घोषित कर सकती है, किसी व्यक्ति को मृत्युदण्ड देशद्रोह के लिए दंडित कर सकती है, एक निर्वैध संतान को वैध संतान घोषित कर सकती है और यदि वह उचित समझे तो अपराधी को स्वयं जूरी के मामले में न्यायाधीश बना सकती है। इन विद्वानों ने कॉमन सभा की निम्नलिखित शक्तियों की चर्चा की है -

(1). **विधायी शक्तियां (Legislative Powers):-** कॉमन सभा किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है। संसद ~~के~~ कानून विदेशों में घटित

घटनाओं को भी नियंत्रित कर सकते हैं, वे सभी के लिए मान्य हैं। देश का कोई भी न्यायालय संसद के किसी भी कानून को ~~रद्द कर सकती है। संसद के कानून विदेशों में घटित~~ अवैध घोषित नहीं कर सकता।

1911 व 1949 के संसदीय अधिनियमों के फलस्वरूप लार्ड सभा वास्तव में एक गौण संस्था बनकर रह गयी है। वह कॉमन सभा के मार्ग में बाधा नहीं बन सकती। इसलिए ब्रिटिश संसद का अभिप्राय ब्रिटिश कॉमन सभा से है। सभी महत्वपूर्ण विधेयक कॉमन सभा से ही प्रारंभ होते हैं। जहाँ तक संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सम्राट की स्वीकृति का प्रश्न है, वह भी मात्र औपचारिकता है। पिछले लगभग ढाई सौ वर्षों में सम्राट ने किसी भी विधेयक का अनुमति देने से इनकार नहीं किया।

(२). <u>राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण</u>:- <u>(Control over the National finance)</u>:- 1215 के मैग्नाकार्टा द्वारा सम्राट ने यह स्वीकार किया था कि यदि तीन सामान्य करों के अलावा और कोई कर लगाया जाएगा तो यह जरूरी होगा कि संसद की स्वीकृति के बिना नागरिकों से कोई भी कर वसूल करना अवैध समझा जाएगा। 1689 में पुनः यह बात दोहरायी गयी। अभिप्राय यह है कि इंग्लैंड के संवैधानिक इतिहास में बार-बार इस सिद्धान्त की दुहायी दी गयी कि जनता के पैसे का उपयोग जनता की के प्रतिनिधियों के ही इच्छा से होना चाहिए। संसद की स्वीकृति के बिना न तो कोई नया कर लगाया जा सकता है और न सार्वजनिक धन का व्यय ही किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त के क्षेत्र में जो शक्तियाँ संसद को प्राप्त हैं, वे वास्तव में कॉमन सभा की शक्तियाँ हैं। बजट या कर संबंधी कोई प्रस्ताव केवल कॉमन सभा में ही पेश किया जा सकता है, लार्ड सभा में नहीं। जब किसी धनविधेयक को कॉमन सभा पास कर देती है तो वह लार्ड सभा को भेज दिया जाता है, परन्तु लार्ड सभा की सिफारिशों को मानना या न मानना कॉमन सभा की इच्छा पर निर्भर है। कॉमन सभा की सार्वजनिक लेखा समिति यह जाँच पड़ताल करती है कि विभिन्न विभागों ने धन का उपयोग ठीक प्रकार किया है अथवा नहीं।

(3). कार्यपालिका पर नियंत्रण और प्रशासन की देखरेख करना

(Control over Executive and Scrutiny of Administration) –

संसदीय प्रणाली में संसद का तीसरा महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन तथा कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना है। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी है। कॉमन सभा मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती है। इसके अतिरिक्त संसद सदस्य, मंत्रियों से उनके विभागों के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा सरकारी विधेयकों को रद्द करके अपने असंतोष का परिचय दे सकते हैं। 19वीं सदी में कॉमन सभा ने कई बार सरकारें गिरायी – 1852 में रसेल का प्रथम मंत्रिमंडल गिराया गया, 1855 में अबरदीन की सरकार का पतन हुआ, 1858 में लार्ड पामर्स्टन को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा तथा 1885 में ग्लैडस्टन ने त्यागपत्र दे दिया। जहाँ तक बीसवीं सदी का प्रश्न है, मई, 1940 में प्रधानमंत्री चैम्बरलेन को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। कॉमन सभा में इसके दल (अनुदार दल) को पूर्ण बहुमत प्राप्त था, पर इस दल के बहुत से सदस्य इसके नेतृत्व को चुनौती देने लगे थे। अनुदार दल ने चैम्बरलेन के स्थान पर चर्चिल को अपना नेता चुना।

कॉमन सभा मंत्रिमंडल को इस बात के लिए मजबूर कर सकती है कि सदन जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहे सरकार उसे वह जानकारी अवश्य जुटाए।

(4) अन्य शक्तियाँ (Other Powers):– सुप्रसिद्ध लेखक बैजहॉट ने कॉमन सभा की भूमिका का वर्णन करते हुए निम्नलिखित तीन कार्यों का उल्लेख किया है–

(1) प्रथम, जनमत को अभिव्यक्त करने का कार्य। कॉमन सभा में ये सभी व्यक्ति होते हैं जो राजनीतिक दृष्टि से बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं, तथा अपने कार्य से जनता के हृदय को जीतना चाहते हैं, इसलिए जनता की शिकायतों और उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करके वे जनमत प्रकट करते हैं।

(2) द्वितीय, लोगों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान करने का कार्य, विभिन्न दलों के प्रतिनिधि अपने-अपने दल की नीति के अनुसार अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं।

सदन का यह वाद-विवाद लोकशिक्षण में सहायक बनता है क्योंकि जनता संसद के कार्यविवरण को बड़ी दिलचस्पी के साथ यह समझने की कोशिश करती है कि सरकार किस नीति का अनुसरण कर रही है।

तृतीय, सूचना संबंधी कार्य यानी विभिन्न मंत्रालयों को इस बात के लिए विवश करना कि वे सरकारी प्रपत्र सदन के समक्ष पेश करें (that the papers be laid before the House) ताकि संसद सदस्य आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकें।